उत्तरांचल सरकार
वित्त अनुभाग–9
संख्या– 84/XXVII(5)/(01/स्टाम्प/04)/2005
देहरादून : दिनांक 22 जनवरी, 2006

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, अतएव अब औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सिडकुल), उत्तरांचल द्वारा राज्य के अन्तर्गत स्वयं अथवा संयुक्त क्षेत्र में उद्यमियों को उपलब्ध करायी जाने वाली विकसित भूमि पर स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या–210/ वि0अनु0–5/स्टाम्प/(01/स्टाम्प/04)2004, दि0 19.07.2004 में श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

संशोधन

उपर्युक्त विज्ञप्ति में शब्द ''वास्तविक मूल्य के स्थान पर, सर्किल रेट'' के स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से शब्द ''औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सिडकुल), उत्तरांचल द्वारा निर्धारित वास्तविक विक्रय मूल्य'' रख दिया जायेगा।

आज्ञा से,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
सचिव।

संख्या–84(1)XXVII(9)/स्टाम्प/2006, तद्दिनांक ।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 प्रतिलिपिक, हिन्दी अधिसूचना की प्रति उप–निदेशक लिथो प्रेस, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इसे आगामी गजट मे प्रकाशित कराते हुए इसकी 200–200 प्रतियॉ शासन के वित्त अनुभाग–5 को उपलब्ध करा दें।

आज्ञा से,

(एल0एम0 पन्त)
अपर सचिव।